-1-

128

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खंडपीठ (जबलपुर) ग्वालियर

रा.अ.कं. नि०/2755/I/15 संस्थित दिनांक–28.07.2015

रवि कुमार पिता श्री घनश्याम प्रसाद
उर्फ मटरू चक्रवर्ती उम्र 25 वर्ष लगभग
निवासी ग्राम पौंड़ी थाना महाराजपुर
तह. व जिला मंडला म.प्र. .... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

शेख रफीक पिता बाबू सलाम जाति मुसलमान
उम्र 39 वर्ष निवासी स्वामी सीताराम वार्ड मंडला
थाना तह. व जिला मंडला म.प्र. .... उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

पुनरीक्षणकर्ता निम्नांकित निवेदन करता है–

पुनरीक्षणाधीन आदेश–

तहसीलदार महोदय मंडला की न्यायालय में प्रस्तुत सीमांकन हेतु आवेदन पत्र जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 19 (अ–12) 2013–14 आवेदक शेख रफीक में पारित आदेश दिनांक 20.02.2014 के विरूद्ध ।

परिसीमा–

न्यायालय तहसीलदार महोदय मंडला द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2014 को सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण नस्तिबद्ध किया गया, उक्त आदेश की जानकारी होने पर अविलंब उसी दिनांक 13.07.2015 को आदेश एवं दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 21.07.2015 को दस्तावेज एवं आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने से विहित समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य–

यह कि, तहसीलदार महोदय मंडला को उत्तरवादी/आवेदक शेख रफीक के द्वारा दिनांक 06.01.2014 को सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त आवेदन की अंतर्वस्तु यह है कि, उत्तरवादी शेख रफीक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 2755-एक/15 जिला - मंडला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-9-16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय का जो आलोच्य आदेश है उसका सही दिनांक 20-2-14 है किंतु इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 23-8-16 में त्रुटिवश आदेश के अंतिम पृष्ठ पर नीचे से 7वीं लाइन में 20-4-14 टाइप हो गया है, जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है । प्रकरण का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश का सही दिनांक 20-2-14 है । अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 23-8-16 को पारित आदेश के अंतिम पृष्ठ पर नीचे से 7वीं लाइन में 20-4-14 के स्थान पर 20-2-14 पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंश रहेगा । सदस्य	09.9.16

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2755–एक/15 जिला – मंडला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.8.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, मंडला द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 20–2–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक शेख रफीक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने स्वामित्व की ग्राम पोंडी प.ह. नं. 17 रा.नि.मं. महाराजपुर स्थित भूमि खसरा नं. 100/9 रकबा 0.16 हैक्टर का सीमांकन किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के आदेश तहसीलदार द्वारा दिये गये । तहसीलदार के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । उक्त सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि तहसीलदार ने दिनांक 20–2–14 द्वारा की है । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि इस प्रकरण में हुई सीमांकन की सारी कार्यवाही अवैधानिक है क्योंकि पटवारी द्वारा दिनांक 20–2–15 को सीमांकन कार्यवाही शाम 04–00 बजे के बाद प्रारंभ की जाकर लगभग 07–00 बजे समाप्त किये जाने और अपने प्रतिवेदन तहसीलदार को	

निग. 2755 8/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

दिनांक 25–2–14 को पेश किये जाने की बात प्रश्नाधीन सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के प्रकरण में अपने प्रतिपरीक्षण में कही गई है, जबकि तहसीलदार द्वारा आलोच्य आदेश 20–2–14 को पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए प्रकरण समाप्त कर दिया गया है । इस प्रकार सीमांकन की सारी कार्यवाही संदेहास्पद है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन में संहिता की धारा 129 के नियम 3(ग) एवं 4 की पूर्ति नहीं की गई है । उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं था । तहसीलदार द्वारा रिर्पोट से प्रभावित होने वाले पक्षकार को कोई सूचना नहीं दी गई और न सुनवाई का अवसर दिया गया है । यह भी कहा गया है कि सरहदी कृषकों को सीमांकन की सूचना दिए जाने का कोई दस्तावेज नहीं है । रिर्पोट में तारेन्द्र चकवर्ती नामक व्यक्ति को अतिक्रमण कारी बताया गया है जबकि तारेन्द्र उक्त भूमि का सरहदी कृषक नहीं है । पटवारी द्वारा विवादित सीमांकन के आधार पर संचालित संहिता की धारा 250 के प्रकरण में प्रतिपरीक्षण में तारेन्द्र को अतिकामक बताने का आधार उसे ढावे में बैठा हुआ देखने के आधार पर माना है । विचारण न्यायालय का आदेश एवं प्रतिवेदन पंचनामा आपस में मेल नहीं खाते हैं । सीमांकन चांदा मुनारा को आधार बनाकर नहीं किया गया वरन् मुख्य सड़क को आधार बनाया गया है जो स्थाई चिन्ह नहीं है । सीमांकन कार्यवाही में सरहदी भूमियों की कोई नाप नहीं की गई है अतः वैध सीमांकन की परिकल्पना समाप्त हो जाती है । मेढ़ों तिमेंढ़ों का मिलान किस बिंदु से किस बिंदु पर किया गया है इस संबंध में पटवारी का प्रतिवेदन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2755–एक / 15 जिला – मंडला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	मौन है । मौन है । अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2014 आर0एन0 69, 2015 आर0एन0 497 एवं 2001 आर0एन0 304 का उल्लेख करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए सीमांकन को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक की ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन का है । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत सीमांकन हेतु आवेदन पर उनके द्वारा दिनांक 6–1–14 को प्रकरण दर्ज कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर प्रतिवेदन देने हेतु आदेश दिए हैं किंतु प्रकरण में कोई आगामी तिथि नियत नहीं की गई है । इसके उपरांत दिनांक 20–2–14 को राजस्व निरीक्षक मंडला/महाराजपुर से सीमांकन रिर्पोट प्राप्त होने का उल्लेख कर सीमांकन रिर्पोट से संतुष्ट होते हुए प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण नस्ति किए जाने के आदेश दिए गए हैं जबकि उनके अभिलेख में राजस्व निरीक्षक का कोई प्रतिवेदन संलग्न ही नहीं है । प्रकरण में जो सीमांकन प्रतिवेदन है वह हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25–2–14 को तहसीलदार, मंडला को पेश किया गया है । इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	जो कार्यवाही है वह संदेहास्पद होकर अवैध एवं अधिकारिता रहित है । अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में सरहदी काश्तकारों को सूचना दिया जाना भी नहीं पाया जाता है । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा आवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के चारों सीमाओं में किस भूमिस्वामी की भूमि हैं । सीमांकन कार्यवाही मुख्य सड़क को आधार मानकर की गई है जो विधिवत नहीं कही जा सकती । पटवारी को सीमांकन कार्यवाही स्थाई चिन्हों के आधार पर करना चाहिए था । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय का जो सीमांकन आदेश है वह अवैधानिक होने से पुष्टि योग्य नहीं है । परिणामतः तहसीलदार, मंडला द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–14 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए सभी सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना देकर सीमांकन की कार्यवाही विधिवत करें । निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	